

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

क्रमांक: प.2(1458)/सूप्रौ/संस्था/13/पार्ट-11/08214/2022 जयपुर, दिनांक: 06-12-2022

कार्यालय आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के निम्नलिखित सूचना सहायक, जिन्होंने दिनांक 01.01.2016 के पश्चात अपने पद पर दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि निरन्तर संतोषजनक पूर्ण कर ली है को वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के नोटिफिकेशन प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अनुसार सूचना सहायक पद की Pay Matrix के अन्तर्गत L-8 लेवल पर वेतन एवं नियमानुसार भत्ते आहरित/वितरित करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	मेरिट/रोल नं.	सूचना सहायक का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	वर्तमान पदस्थापित विभाग	प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	परिवीक्षाधीन अवधि (दो वर्ष) पूर्ण होने की दिनांक	निर्धारित वेतनमान में उक्तानुसार निर्धारित वेतन के आधार पर वेतन आहरण एवं स्थाईकरण किये जाने की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	286101	विभूति अग्रवाल	कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, अभियोजन विभाग, भरतपुर	04.11.2020 (मध्याह्न पश्चात)	04.11.2022	05.11.2022
2	276401	विजय पाल मीणा	जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-बज्जू खालसा, बीकानेर	05.11.2020	04.11.2022	05.11.2022
3	312870	त्रिलोक शर्मा	जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, झालावाड़	05.11.2020	04.11.2022	05.11.2022
4	230984	तनवीर अंसारी	राजस्व तहसील, बेगू, जिला-चित्तौड़गढ़	30.09.2020 (मध्याह्न पश्चात)	30.09.2022	01.10.2022

उक्त सभी सूचना सहायकों का वेतन निर्धारण सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के तहत किया जावेगा एवं नियमितिकरण/स्थाईकरण के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज नियमानुसार उक्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

वे सूचना सहायक जो सूचना सहायक पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सरकार के अधीन अन्य पद पर नियमित रूप से सेवारत रहे कर्मिकों को (जिनके द्वारा परिवीक्षा अवधि में पूर्व पद का वेतन प्राप्त किया जा रहा था) परिवीक्षाकाल समाप्ति पर वेतन निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के निर्देशानुसार सेवा नियम के नियम 26 के अंतर्गत किया जायेगा।

(सुनील छाबड़ा)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- सम्बंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
- प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
- सम्बंधित कर्मचारी.....।
- सम्बंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

विजय
06/12/2022
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी